

न्यायालय राजस्थ मण्डल, म०४०, ग्रामियर

प०५० २१३०-तीन/२०००/आर रीवा

४६

कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री इंद्रपाल सिंह  
निवासी ग्राम महसाव तहोरायपुर/गुड़  
जिला रीवा म०४० ——अपीलाट

बनाम

- १- नरेन्द्र सिंह पुत्र सूर्यप्रताप सिंह उम्र-३४ वर्ष
- २- भावान सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह ५० वर्ष
- ३- लक्ष्मण सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह ४८ वर्ष  
तभी निवासी गण महसाव तहोराय  
जिला रीवा म०४० ——रिसापों०

अपील विलद आदेश दि० २१-९-२००० न्यायालय अपर आयका महोदय  
रीवा तमाङ। अपील अंतिम धारा ३५४५५ एम०स्ल०आ र०४८०० १९५९  
श्रीमानजी,

प्रस्तुत अपील निम्न तथ्यों स्वं आधारों पर प्रस्तुत है ।-

- १- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० ८-३-२०००,  
एक पूर्ण रूप से आवेदक/अपीलाट को लुनवार्ड का अवसर दिये बिना  
पारित किया गया है जिसके विलद होने से काविल निरस्त योग्य है ।
- २- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक  
८-३-२००० में इस बात का कोई गौर नहीं किया गया कि आवेदक भी  
पुश्नाधीन भूमि का सहभूमिस्थानी था और जिविल न्यायालय में उसे  
पद्धति नहीं बनाया गया है न ही उसे लुनवार्ड का कोई अवसर दिया  
गया है जिस बात का उल्लेख पूर्णतया से अधीनस्थ न्यायालय/तहसील  
न्यायालय गुड़ में प्रकरण क्र० २६ अ-६/९७-९८ निर्णय दिनांक २५-९-९८  
में इस पूर्ण रूप से अभिलिखित है तथा अधी० न्यायालय/अनुविभागीय अधी०  
गुड़/रायपुर के अपीलीय प०५० ३६, अ-६/९४-९५ निर्णय दि० ७-१२-९७  
के पैरा क्र० ३ में पूर्ण रूप से प्रस्तुत उल्लेख है कि जिविल न्यायालय में  
अधी० कोई पद्धति नहीं बनाया गया न ही जिविल न्यायालय  
द्वारा कोई डिक्री ही अपीलाट के विलद पारित की गई है इस कारण  
अपीलाट के हिस्ते जिसका सह खातेदार क्रम अपीलाट था ।  
उचित नहीं समझा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय आ

(प्रेषण २०८८)  
अपील  
१८.१.२०२२

✓

गुरुग्राम / नोटर  
R-2130-III/00 श्रीवा

0.04.2021

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारी के हस्ताक्षर
25-2-16	आवेदन अनुसारी सामग्री की वापसी कराना। अग्रा लोकसभा दो दिनों में। प्रति 24-6-16	आवेदन अग्रा
<u>24/6/16</u>	सम्बन्धित अधिकारी की वापसी कराना। सू. 1 अन्ति. दो दिनों में। सम्बन्धित अधिकारी की वापसी कराना। C.F. 27/6/16	अधिकारी वापसी
<u>27/6/16</u>	सम्बन्धित अधिकारी की वापसी कराना। 42-21/6/16 अवधारणा की वापसी कराना। ये दो 1/21/21 की वापसी कराना। सू. 21/6/16 की वापसी कराना। सू. 21/6/16 की वापसी कराना। अधिकारी	अधिकारी वापसी